

फर्द आह्वान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 38/2023 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

रामलाल बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

राम
ना
मि
शु
0.
त
न
।
।

क्र.सं.	आदेशिका	हरताक्षर / सूचना
6/26	<p>अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल गिराल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी रामलाल पिता हिमालाल उर्फ हिमाराग भील निवासी जिला कुम्भलगढ तहसील कुम्भलगढ व विपक्षी संख्या 2 सत्यप्रकाश पिता रामप्रसाद भीना निवासी रेहटोटी सरमथुरा जिला धौलपुर के ग्राम च पटवार हल्का पीपाणा तहसील कुम्भलगढ में स्थित सह-खातेदारी भूमि आराजी नंबर 3058/1503 रकबा 1.080 हैक्टेयर किस्म वारानी-3 भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम पीपाणा की विलानाम भूमि से रास्ता दिलाया जाये नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त सह-खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम पीपाणा की विलानाम भूमि आराजी नंबर 2986 रकबा 4.7412 हैक्टेयर किस्म मगरी में से रकबा 0.4266 हैक्टेयर, भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंसा की है। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता विलानाम भूमि भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित विलानाम भूमि की डी.एल.सी.दर 113434/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 48391/-की दुगुनी कीमत 96782/-रूपये संबंधित मद में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 30 फीट है। जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

Wp.
उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द (राज.)

